(206)

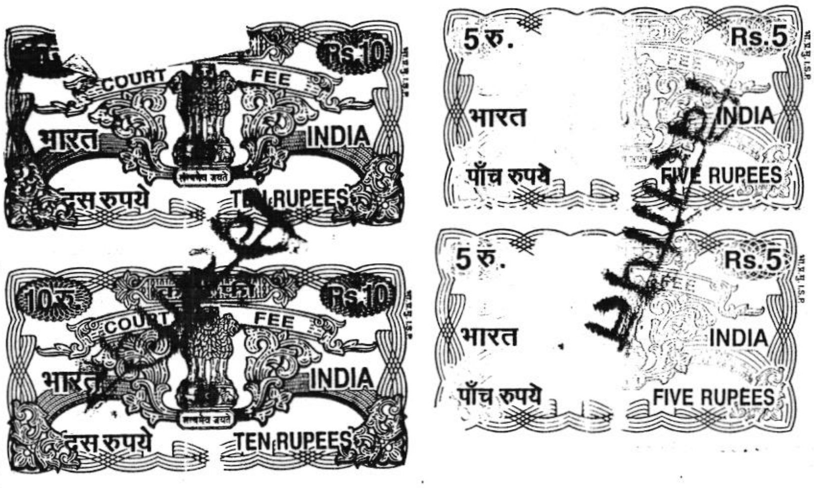

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष राजस्व मण्डल (म.प्र.) ग्वालियर
[redacted] (म.प्र.) निग - 2538 - I - 16

प्र.क्रं. /2016. निगरानी
श्री अर्जुन सिंह, अभि०
द्वारा आज दि. 30-7-16 को
प्रस्तुत
30.7.16
रीडर ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

अर्जुनसिंह
30.6.16

भगवानसिंह आयु 3 वर्ष पुत्र मेवा
लाल जाति काछी निवासी त्योंदा
तहसील त्योंदा जिला विदिशा (म.प्र.)
------प्रार्थी

बनाम

कमलसिंह आयु 5 वर्ष पुत्र
रामप्रसाद जाति काछी निवासी त्योंदा
तहसील त्योंदा जिला विदिशा (म.प्र.)
-- ----प्रतिप्रार्थी

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.
सं. प्र. क्रं. 175/ अ-12/ 2015-16
व प्र.मला सीमांकनक कमल सिह पुत्र राम
प्रसाद आवेदक सीमांकन दिनांक प्रतिवेदन
02/06/2015 आदेश दिनाक 01/06
/2015 के विरुद्ध।

माननीय महोदय,

निगरानी प्रार्थी निम्न लिखित प्रस्तुत है :-

1. यह कि प्रतिप्रार्थी के नाम ग्राम त्योंदा प.ह.नं. 15 तहसील त्योंदा में भुमि सर्वे क्रं. 1004/2 रकवा 0.600 है. भुमि सर्वे क्र. 1005/2 रकवा 0.167 है. कुल किता 2 कुल रकवा 0.865 है. रिकार्ड दर्ज है उक्त भुमि से लगी हुई प्रार्थी की भुमि सर्वे कं. 948/1 रकवा 1.509 हें. रिकार्ड दर्ज है प्रार्थी उक्त अनुसार भुमि स्वामी मालिक काबिज चला आ रहा है।

2 यह कि प्रार्थी सीमांकन के पुर्व दिनांक 28/5/16 से पडे भाई गुलाबसिंह पुत्र मेवालाल की बिटिया सरोजबाई अचानक तबियत खारब हो जाने के कारण भोपाल की टी.बी मे टी.बी.की बीमारी के इलाज के लिए भर्ती दिनांक 8/6/16 तक भर्ती रखी मेने रोज सुबह दोपहर शाम रात को सरोज बिटिया का नित्य नियम से दवाई व इजंकेशन लगवाये वह दिनांक 8/6/16 को जब आराम लगा तो घर वापिस ले आये इसी समय का फायदा लेकर प्रतिप्रार्थी ने उक्त सीमांकन कार्यवाही बाला बाला की गई प्रार्थी को कही भनक भी लगने नही दी गई

3 यह कि पुर्व में दिनांक 01/06/2015 को कमल सिंह द्वारा उनकी भुमि का अवैध ढंग से सीमांकन आदेश कराने पर प्रार्थी ने माननीय न्यायालय में रिवीजन प्र. कं. 175/ अ-12/ 2015-16 के विरुद्ध रिवीजन प्रस्तुत की थी उक्त रिवीजन निम्न आधरो पर प्रस्तुत है।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2538-एक/16 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	